भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1257
सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय करियर केंद्र

1257. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए कार्यरत राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) की संख्या कितनी है;
(ख) वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान इन केंद्रों के माध्यम से परामर्श, कोचिंग या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या तमिलनाडु के पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए इन केंद्रों के अंतर्गत कोई लक्षित पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) तमिलनाडु में इन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत, प्रशिक्षित और नियोजित रोजगार मंद वाले लोगों की संख्या वाले श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार की तमिलनाडु में इन केंद्रों का विस्तार या उन्नयन करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों हेतु कल्याण संबंधी योजना" क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर परामर्श, कंप्यूटर प्रशिक्षण, भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। आज तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (तमिलनाडु में चेन्नई स्थित एक केंद्र सहित) खोले गए हैं और संचालित हैं।

(ख): इन 25 केंद्रों ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः 2.53 लाख और 2.58 लाख से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को करियर परामर्श /व्यावसायिक मार्गदर्शन/टाइपिंग और शॉर्टहैंड प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, इन केंद्रों ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान विशेष कोचिंग योजना के तहत 4,560 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और 9,804 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ग): चेन्नई स्थित केन्द्र के लिए लक्ष्य अनुबंध I में दिए गए हैं।

(घ): चेन्नई स्थित केन्द्र की उपलब्धियां अनुबंध I में दी गई हैं।

इस योजना के अंतर्गत, नियोजन प्रदान करना अनिवार्य नहीं है, तथापि, रोजगार मेलों का आयोजन करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 2022-24 की अवधि में चेन्नई केंद्र द्वारा राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से आयोजित रोजगार मेलों के दौरान 2,242 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।

(ङ): इस योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर इन केंद्रों को मॉडल संस्थानों के रूप में खोलने की परिकल्पना की गई है, ताकि मार्गदर्शन/कोचिंग/प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इच्छुक व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने स्वयं के संसाधनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के केंद्र खोलने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 28.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चेन्नई केंद्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रं.स.	**पाठ्यक्रम**	**2022-23**		**2023-24**	
		लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
1	टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड प्रशिक्षण सहित करियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन	9200	11,122	11,850	12,663
2	विशेष कोचिंग योजना	100	100	80	80
3	कंप्यूटर प्रशिक्षण	300	300	165	165